न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 38/2010

वादिनी बनाम प्रतिवादीगण

श्रीमती भीखी देवी पुत्री स्व. मंगलाराम जाति खारवाल निवासी पंचपदरा

1. तेजाराम के कानून मुताबिक
   शान्तादेवी पत्नी स्व. तेजाराम पुत्र मंगलाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
2. कमलेश पुत्र स्व. मंगलाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
3. शैतान पुत्र स्व. मंगलाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
4. श्रीमती चम्पादेवी पत्नी श्री अर्जुनराम जाति जाट निवासी कलावा तहसील पचपदरा
5. श्रीमति ओलीदेवी पत्नी श्री मानाराम जाति जाट निवासी कलावा तहसील पचपदरा
6. अमृतलाल पुत्र बंशाजी जाति खारवाल निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा
8. अनुराधा पत्नी करणीदान चैना जाति चारण निवासी लक्ष्मीपुरा बाड़मेर
9. माँ आईनाथ गौ सेवा समिति बालोतरा जरिये अध्यक्ष करणाराम पुत्र पूंजाराम जाति प्रजापत निवासी वागुन्डा धाम के पीछे, बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति– 1. श्री सुरेश नारायण खारवाल वकील वादिनी।
2. श्री अचलाराम थोरी वकील प्रतिवादी संख्या 9

निर्णय दिनांक 22.07.2022

प्रतिवादीगण 1 ता 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में कथन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी ने वाद पत्र के पेज संख्या 2 के पद संख्या 1 में अभिवचन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में उसका 1/5 हिस्सा सयुक्त खातेदारी का है, जो पुश्तैनी खेत है, उसमे प्रतिवादी संख्या 7 अमृतलाल का 1/2 हिस्सा बताकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता मंगलाजी का 1/2 हिस्सा बताकर 1/5 हिस्सा क्लेम किया कर बंटवाड़ा का वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध [illegible] वादिनी वादग्रस्त खसरान की भूमि पुश्तैनी खेत है, तो विधि में उक्त खेत पर हिन्दु प[illegible] में [illegible] महिला वारिस को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसी दशा में वादिनी क[illegible] वाद लाने का कोई बिनाय उत्पन्न होना प्रकट नहीं होता है, और न [illegible] दावा उत्पन्न होना प्र[illegible] किया गया है, ऐसी दशा में वर्तमान मामले में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम [illegible]56 के प्रावधान लागू नहीं है। अतः वादिनी का वादपत्र रिजेक्ट करने योग्य है। इस प्रार्थनापत्र का निस्तारण विधि अनुसार वादिनी के वादपत्र में उसके द्वारा किये गये अभिवचनों के अवलोकन के आधार पर किया जावेगा। जिसके अनुसार वादपत्र में वर्तमान वाद के लिये प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई बिनाय दावा उत्पन्न होना प्रकट नहीं होता है अतः वादिनी का वादपत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 सीपीसी की क्लोज ए के अनुसार रिजेक्ट करने योग्य है। प्रतिवादीगण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:11:58 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

...ता 4 के द्वारा वादिनी के वाद को रिजेक्ट कर वादिनी से इस वाद का कानूनी व्यय दिलाने का निवेदन किया गया।

वादिनी मीरो पुत्री स्व0 मंगलाराम की और से प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश कर प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादिनी ने अपने पुश्तैनी हक खातेदारी की जमीन में उसके पिता मंगलाराम का स्वर्गवास हो जाने से उसका विधिक अधिकार पुश्तैनी जमीन होने से यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पैतृक सम्पति व पुश्तैनी जमीन में हिन्दु अधिनियम में लड़के व लड़कियों का बराबर हिस्सा माना जाता है एवं है। वादिनी का वादग्रस्त आराजी में उसके पिता की पैतृक सम्पति में 1/5 हिस्सा कानूनन बनता है। जिसका खातेदारी अधिकार घोषित करवाने की अधिकारिणी है।प्रतिवादीगण के द्वारा आवेदन पत्र महज दावे को लम्बा करने के लिये एवं वादिनी को परेशान करने के लिये किया गया है जो मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की और श्री चम्पालाल सोनी की और से उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करने के बाद प्रतिवादीगण की और से इस वाद में किसी प्रकार की पैरवी नहीं की गई है। न ही उपरोक्त दोनों वाद के प्रति वे गम्भीर है, ऐसी स्थिति में उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

विद्ववान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, बहस के दौरान दोनों प्रतिवादीगण के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर केवल मात्र वाद को लम्बा करने की नियत से उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करने के बाद लम्बे समय से पैरवी नहीं की जा रही है, प्रतिवादीगण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वाद पत्र को लेकर गम्भीर रहे है। वादिनी स्वर्गीय मंगलाजी की जायन्दा पुत्री होने से दावा लाने की अधिकारिणी है। पैतृक सम्पति व पुश्तैनी जमीन में लड़के व लड़कियों का बराबर हिस्सा उनके जन्म से ही प्राप्त होता है। उसे उसके हक हकूको से महरूम नहीं रखा जा सकता है, न हीं वादिनी को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:11:58 IST
Reason: SelfAttested

(... सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(... सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(SDO) बालोतरा